

महवा उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
 चिम्भन बनाम भद्र कौर
 मु. सं. 55/14

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

श्राज पत्रावली पेश हुई। वादी व
 उनके वकील को बार बार श्राज दिखाने
 गयीं किंतु कोई भी उपस्थित नहीं हैं।
 इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने
 वाद को चलाना नहीं चाहता हैं।

अतः वादी का वाद श्रद्धम हजरी
 व श्रद्धम बैरी में खारिज किया जाया
 है। पत्रावली फायल मुभार हो व बंद
 तकमील दारिखल दफ्तर हो।

ओदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 महवा (जिला दौसा)